

WESTERN RAILWAY

P.S.No.43/2011

Headquarter Office,  
Churchgate, Mumbai-20

No. 9/R&I/890/50/1

Date: 28.04.2011


To:  
All DRMs / CWMs & Units Incharge,  
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT,  
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, W Zone, Mumbai  
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Safety Related Retirement Scheme covering Drivers, Gangmen and  
other safety categories with Grade Pay of Rs. 1800/-

=====

A copy of Railway Board's letter No.E(P&A)-2010 RT-2 dated 29.03.2011  
(RBE No.42/2011) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

  
( S. Kadmani )  
For General Manager(E)

Copy of Railway Board's letter No.E(P&A)-2010 RT-2 dated 29.03.2011 (RBE  
No.42/2011) addressed to the General Manager, All Indian Railway and Others.

Sub: Safety Related Retirement Scheme covering Drivers, Gangmen and  
other safety categories with Grade Pay of Rs.1800/-.

Ref: Board's letter of even number dated 11.09.2010 and 24.09.2010

The demands raised by the employees' Federations, such as constitution of a  
lower level Assessment Committee at Divisions, processing of the retirement /  
recruitment cases more than once in a year, etc., under Liberalized Active  
Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff (LARSGESS) have  
been under consideration of Board for some time. It has been decided that the  
retirement/ recruitment process under the LARSGESS in respect of all Safety  
categories of staff including Gangmen in Grade pay of Rs.1800/- p.m. and Drivers/  
Loco Pilots may be done twice in a year as per the annexed time schedule. The  
suitability of the wards for recruitment under the Scheme may be adjudged by the  
Assessment Committee as follows:-

- (i) Assessment Committee of 3 JAGs Officers at Divisional Level to adjudge  
the suitability of wards for recruitment against safety category post in  
Grade Pay of Rs.1800/-p.m. and

(ii) Assessment Committee of 3 SAG Officers at Headquarter Level may continue to adjudge the suitability of wards of Drivers / Loco Pilot.

2. The process of retirement / recruitment may be started from July 2011 for the current calendar year 2011.

3. The other terms and conditions of the Scheme will remain the same.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Kindly acknowledge receipt.

\*\*\*\*\*

TIME SCHEDULE

(A) 1st half - January - June

|       |   |                                      |
|-------|---|--------------------------------------|
| (i)   | Cut off date for reckoning eligibility of the employee and his ward               | : 1st January                        |
| (ii)  | Last date for receiving the applications  | : 31st January                       |
| (iii) | Scrutinizing the applications   | : 1st February to 28th/29th February |
| (iv)  | Last date for withdrawal of application   | : 28th/29th February                 |
| (v)   | Conducting of Physical Test / Written Test etc.                                   | : 1st March to 30th April            |
| (vi)  | 2nd chance to failure in written test in first chance giving a gap of 20-30 days. | : Upto 31st May                      |
| (vii) | Medical exam, acceptance of retirement / joining the job by the wards             | : 1st to 30th June                   |

(b) 2nd half July - December

|       |   |                             |
|-------|---|-----------------------------|
| (i)   | Cut off date for reckoning eligibility of the employee and his ward               | : 1st July                  |
| (ii)  | Last date for receiving the applications  | : 31st July                 |
| (iii) | Scrutinizing the applications   | : 1st to 31st August        |
| (iv)  | Last date for withdrawal of application   | : 31st August               |
| (v)   | Conducting of Physical Test / Written Test etc.                                   | : 1st Sept. to 31st October |
| (vi)  | 2nd chance to failure in written test in first chance giving a gap of 20-30 days. | : Upto 30th November        |
| (vii) | Medical exam, acceptance of retirement / joining the job by the wards             | : 1st to 31st December      |

\*\*\*\*\*

पश्चिम रेलवे

पॉ.एस.सं.43/2011

प्रधान कार्यालय,

चक्रगट, मुंबई.

दि. 04-2011

सं. 42/2011/आर एच टो/890/60/1

सभी मं.रे.प्र. /गु.का.प्र. और युनिट इनचार्ज.

प्रति: महामंत्रो- वे.रे.ए.यू.-ग्राटरोड/वे.रे.म.सं.-मुंबई सेंट्रल.

प्रति: महामंत्रो- ऑल इंडिया अ.जा./अ.ज.जा.रेल कर्म., एसो. 'वेस्ट' डी.म.मुंबई.

प्रति: महामंत्रो- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेल कर्मचारी, एसोसिएशन, मुंबई.

विषय: ड्रायवर, गैंगमैन तथा रु.1800/- की ग्रेड पे वाली अन्य संरक्षा कोटियों पर लागू संरक्षा संबद्ध सेवानिवृत्ति योजना।

\*\*\*\*\*

रेलवे बोर्ड के दिनांक 29.03.2011 के पत्र सं.इं(पॉ एच ए) I-2010/आरटी-2 (आर बी ई सं.42/2011)की प्रतिलिपी सुचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है।

संलग्न: यथोक्त

28/4/2011

(एस कडेमणी)

कृते महाप्रबंधक (स्था)

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को तथा अन्यो को संबोधित रेलवे बोर्ड के दि. 29.03.2011 के पत्र सं.इं(पॉ एच ए) I-2010/आरटी-2 (आर बी ई सं.42/2011) की प्रतिलिपी।

विषय: ड्रायवर, गैंगमैन तथा रु.1800/- की ग्रेड पे वाली अन्य संरक्षा कोटियों पर लागू संरक्षा संबद्ध सेवानिवृत्ति योजना।

कर्मचारी संघो द्वारा उठाई गई मांगे जैसे मंडलों पर निम्नतर स्तर की मूल्यांकन समिति का गठन, संरक्षा कर्मचारियों के लिए गारंटोशुदा रोजगार के लिए उदारिकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना (एलएआरएसजीईएसएस) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति / मुर्ती मामलों की प्रक्रिया वर्ष में एक बार से

समय अनुसूची

(क) पहली छमाही - जनवरी - जून

|       |  |   |                        |
|-------|--|---|------------------------|
| (i)   | कर्मचारी तथा उनके आश्रित की पात्रता की गणना के लिए निर्धारित तारीख                           | : | 1 जनवरी                |
| (ii)  | आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख  | : | 31 जनवरी               |
| (iii) | आवेदनों की संवीक्षा  | : | 1 फरवरी से 28/29 फरवरी |
| (iv)  | आवेदन वापस लेने की अंतिम तारीख   | : | 28/29 फरवरी            |
| (v)   | शारीरिक परीक्षा / लिखित परीक्षा आदि आयोजित करना  | : | 1 मार्च से 30 अप्रैल   |
| (vi)  | पहली बार में लिखित परीक्षा में असफल हो जाने वालों को 20-30 दिन के अंतराल में दूसरा अवसर देना | : | 31 मई तक               |
| (vii) | चिकित्सा जांच, सेवानिवृत्ति स्वीकार करना / आश्रितों द्वारा नौकरों का कार्यभार सभालना         | : | 1 से 30 जून            |

(ख) दूसरी छमाही - जुलाई - दिसंबर

|       |  |   |                        |
|-------|--|---|------------------------|
| (i)   | कर्मचारी तथा उनके आश्रित की पात्रता की गणना के लिए निर्धारित तारीख                           | : | 1 जुलाई                |
| (ii)  | आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख  | : | 31 जुलाई               |
| (iii) | आवेदनों की संवीक्षा  | : | 1 से 31 अगस्त          |
| (iv)  | आवेदन वापस लेने की अंतिम तारीख   | : | 31 अगस्त               |
| (v)   | शारीरिक परीक्षा / लिखित परीक्षा आदि आयोजित करना  | : | 1 सितंबर से 31 अक्टूबर |
| (vi)  | पहली बार में लिखित परीक्षा में असफल हो जाने वालों को 20-30 दिन के अंतराल में दूसरा अवसर देना | : | 30 नवंबर तक            |
| (vii) | चिकित्सा जांच, सेवानिवृत्ति स्वीकार करना / आश्रितों द्वारा नौकरों का कार्यभार सभालना         | : | 1 से 31 दिसंबर         |

\*\*\*\*\*

अधिक बार करना आदि कुछ समय स बोर्ड के विचाराधीन रहे हैं। यह विनिश्चय किया गया है कि गैंगमैन सहित रु. 1800/- प्रतिमाह ग्रेड पे में सभी संरक्षा कोटियों की तथा ड्राइवरों / लोको पायलटों की एल, ए.आर, एस, जॉ, ई, एस, एस, के अंतर्गत सेवानिवृत्ति / भती प्रक्रिया संलग्न समय अनुसूची के अनुसार वर्ष में दो बार की जाए। इस योजना के अंतर्गत भती के लिए आश्रितों की उपयुक्तता का आकलन नीचे दर्शाये गये मूल्यांकन समिति (Assessment Committee) द्वारा किया जाए :-

- (i) रु. 1800/- प्रतिमाह की ग्रेड पे में संरक्षा कोटि के पद पर भती के लिए आश्रितों की उपयुक्तता के बारे में निर्णय मंडल स्तर पर 3 कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की निर्धारण समिति द्वारा, और
  - (ii) ड्राइवरों / लोको पायलटों के आश्रितों की उपयुक्तता का आकलन मुख्यालय स्तर पर 3 कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों यकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाना जारी रहेगा।
2. चालू कलेंडर वर्ष 2011 के लिए सेवानिवृत्ति / भती की प्रक्रिया जुलाई, 2011 से शुरू की जाए।
  3. योजना के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
  4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
  5. कृपया पावती दें।